<u>न्यायालयः— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला—अशोकनगर</u> (पीठासीन अधिकारीः—जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर 235103006762014</u> <u>दांडिक प्रकरण क.-732 / 14</u> संस्थापित दिनांक-12.12.2014

	11311311 19 1197 12.12.2017
मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जि	
	अभियोजन
	विरुद्ध
01—वीरन पुत्र कोमली सहराई।	आदिवासी उम्र 45 साल निवासी पाडरी
	आरोपी
राज्य द्वारा आरोपी द्वारा	:– श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.। :– श्री चौरसिया अधिवक्ता।

—ः <u>निर्णय</u> :—

<u>(आज दिनांक 14.02.2017 को घोषित)</u>

01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 323, 324, 294, 506 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपी का फरियादी से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपी को भादिव की धारा 294, 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादिव की धारा 324 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी कृष्णाबाई ने दिनांक 09.07.14 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को रात करीब 11 बजे उसका चाचा वीरन आदि उसके पिता हज्जू को मां—बहन की बुरी—बुरी गालियां दे रहा था, उसने चाचा से गाली देने से मना किया तो वह गुस्सा होकर कुल्हाडी लेकर उसके पिता को मारने दौड़ा तो वह व उसकी मां पार्वती बचाने लगी तो वीरन ने उसके सिर में कुल्हाडी मार दी जिससे खून निकलने लगा और वह गिर पड़ी। और जाते—जाते वीरन कहने लगा कि आज तो बच गई, अगर बीच में आई तो जान से खत्म कर दूंगा। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 290 / 14 के अंतर्गत भादवि की धारा 323, 324, 294, 506बी के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 294, 324, 506 भाग दो के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

06-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 08.07.14 को समय करीब 11.00 बजे थाना चंदेरी अंतर्गत ग्राम पांडरी सहराई में फरियादी के घर के दरवाजे के सामने फरियादिया कृष्णाबाई की कुल्हाडी से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 कृष्णाबाई, अ.सा. 02 हज्जू, अ.सा. 03 पार्वती की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 कृष्णाबाई ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानती है। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी ने उसके पिता को गाली गलौच की थी और मना करने पर उससे वाद विवाद किया था। उक्त साक्षी ने इसी बात पर से प्रपी 01 की रिपोर्ट लिखाना व्यक्त किया है। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने कुल्हाडी से उसके सिर में मारा था। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन भी देने से इंकार किया है। अ.सा. 02 हज्जू ने भी अपने कथन में बताया है कि आरोपी उसके साथ गाली गलौच कर रहा था और जब उसकी लड़की ने मना किया तो उसका उससे वाद विवाद हो गया था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने कुल्हाड़ी से उसकी बेटी के साथ मारपीट की थी। इसी प्रकार अ.सा. 03 पार्वती ने भी अपने कथन में बताया है कि आरोपी ने उसकी लड़की के साथ वाद विवाद किया था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने उसकी लड़की के साथ मारपीट की थी। अभियोजन द्वारा अभिलेख पर उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा फरियादिया कृष्णाबाई की कुल्हाडी से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की गई।

09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादवि की धारा 324 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

11— प्रकरण में जप्तशुदा लोहे की कुल्हाडी मूल्यहीन होने से अपीलावधि पश्चात् नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन हो।

12— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द. प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)